न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 25/2025 (राजसमन्द आर्डर)

1. श्रीमती कलादेवी पत्नी स्वर्गीय नवनीत जी, जाति गुर्जर, निवासी नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. दीपक पिता स्वर्गीय नवनीत जी, जाति गुर्जर, निवासी नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

प्रवीण पिता सगुनसिंह जी जैन, निवासी तहसील रोड़, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान
काश्तकारी अ. –1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा दिनांक
18.06.2025, प्रकरण सं. 167/2011

---/---

उपस्थित :– 1. श्री भरत गिरी गोस्वामी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

---/---

निर्णय **दिनांक 12–12–2025**

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं आधिपत्य की राजस्व ग्राम नाथद्वारा में आराजी नंबर 1203 व 1204 कुल किता 2 रकबा 8 बिस्वा 10 विश्वांसी भूमि स्थित है, जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं है। उक्त भूमि के पास ही प्रार्थी का एक बहुमंजिला होटल बना हुआ है तथा उक्त भूमि के पास पड़ी भूमि पर विपक्षीगण बिना किसी हक अधिकार के कब्जा करने पर उतारू हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा किया जावे।

2. विपक्षीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 की स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 1205 नगर नाथद्वारा के बस स्टेण्ड के पास स्थित है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:09:53 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

जिसके उत्तरी कोने पर एक सर्विस सेन्टर बना हुआ है, जिस पर प्रार्थी ने अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया तो विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थी के विरूद्ध एक सिविल वाद दायर का उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो सिविल न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर विपक्षी प्रवीण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिसके मुकदमा नंबर 50/2011 है। प्रवीण के आप न्यायालय में वास्तविक तथ्यों को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया है। आराजी नंबर 1204 किस्म रास्ता अंकित है, उक्त भूमि मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही है। प्रार्थी आराजी नंबर 1204 अकेले स्वामित्व की बता रहा है, जो गलत है। अतः प्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे विपक्षी संख्या 1 के आराजी नंबर 1205 में जबरन प्रवेश नहीं करें तथा आराजी नंबर 1204 किस्म रास्ते में कोई निर्माण कार्य नहीं करें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

3. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18–06–2025 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी का प्रति प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18–07–2025 को प्रस्तुत की गयी है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भरत गिरी गोस्वामी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विचारण न्यायालय में प्रकरण वर्ष 2011 से लम्बित है तथा वादग्रस्त भूमियां नगर नाथद्वारा के बस स्टैण्ड पर तत्कालीन समय से नेशनल हाईवे संख्या 8 से सटमा स्थित थी, तत्पश्चात् वर्ष 2012 में गोमती चौराहा से उदयपुर चारलेन सड़क निर्माण के लिए अवाप्ति प्रकिया शुरू हुई, जिसमें आराजी नंबर 1203 व 1204 में से 536 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गयी, [illegible] द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं किया ग[illegible] जबकि [illegible] भली भांति ज्ञात है कि उसकी भूमि की [illegible] परिवर्तित हो चुकी है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अवाप्त शुदा भूमि के [illegible]वजे के संबंध में जिला कलक्टर राजसमन्द के यहां कार्यवाही की गयी है, लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:09:53 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

इस तथ्य को उसके द्वारा विचारण न्यायालय से छुपाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16–04–2025 को केवल दिखावटी तौर पर बहस होना दर्शाया है, फिर भी बिना बहस सुने निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर कोई विवेचन नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर देकर नये सिरे से निर्णय करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

6. उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार ही निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट विवादित आराजी नंबर 1203 व 1204 का रेकार्डेड खातेदार है, जबकि आराजी नंबर 1205 अपीलान्ट के खातेदारी की है। रेस्पोडेन्ट ने स्वयं के खातेदारी की भूमि जो उसके कब्जे में है, में अपीलान्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा रेस्पोडेन्ट के खाते की आराजी में दखलन्दाजी की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट व्याख्या करते हुए स्वयं की खातेदारी में अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को अधिकारी मानते हुए विपक्षीगण/अपीलान्टगण जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

8. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18–06–2025 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 12–12–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:09:53 IST
Reason: SelfAttested

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर